पुलिस कर्मियों एवं अधिकारियों से संबंधित स्थानान्तरण / पदस्थापन नीति

1. जिला पुलिस के आरक्षी / मुख्य आरक्षी

आरक्षी / मुख्य आरक्षी का पदस्थापन उनके गृह जिले में किया जा सकेगा । यह पदस्थापन निम्न शर्तों के अधीन होगा :–

- इस स्तर के पुलिस कर्मियों को उनके गृह वृत में पदस्थापित नहीं किया जायेगा।
- इनका पदस्थापन दोनों रेंकों में कुल मिलाकर एक थाने में 5 वर्ष से अधिक नहीं किया जावेगा।
- आरक्षियों के अन्तर जिला स्थानान्तरण निम्न शर्तों के अध्यधीन होंगे :–
  - (i) किसी भी जिले में पुरूष आरक्षी/मुख्य आरक्षी की न्यूनतम 7 वर्ष एवं महिला आरक्षी/मुख्य आरक्षी की 3 वर्ष की सेवावधि पूर्ण होने तथा इस सेवावधि में वार्षिक कार्य मूल्यांकन **'अच्छा'** अथवा उससे बेहतर होने पर ही अन्तर जिला स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा ।
  - (ii) किसी भी आरक्षी / मुख्य आरक्षी के अन्तर जिला स्थानान्तरण के माध्यम से उसके गृह जिले में पदस्थापन पर, कुल 15 वर्ष की सेवावधि पूर्ण होने पर ही विचार किया जायेगा।
  - (iii) किसी भी आरक्षी / मुख्य आरक्षी का अन्तर जिला स्थानान्तरण करते समय संबंधित वर्ग में रिक्तियां उपलब्ध होने पर ही स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा ।
  - (iv) एक ही जिले में स्थानान्तरण हेतु एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में वरिष्ठता के अनुसार ही स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा।
  - (v) किसी आरक्षी / मुख्य आरक्षी के विरुद्ध विभागीय जाँच अथवा आपराधिक प्रकरण विचाराधीन होने पर उसके स्थानान्तरण पर विचार नहीं किया जायेगा ।
  - (vi) वृहद दण्ड एवं लघु दण्ड (परिनिन्दा के अतिरिक्त) से दण्डित किसी आरक्षी / मुख्य आरक्षी के स्थानान्तरण पर, दण्ड लागू रहने की अवधि तक विचार नहीं किया जायेगा ।
  - (vii) स्वच्छ छवि वाले कर्मियों को फील्ड पोस्टिंग में प्राथमिकता दी जावेगी ।
  - (viii) स्थानान्तरण के लिए कर्मियों से तीन विकल्प लिए जावेंगे ।

(ix) पूर्व पदस्थापन के ध्यान के साथ–साथ, फील्ड में पदस्थापन अवधि को दृष्टिगत रखते हुए उत्कृष्ट श्रेणी के कार्य करने वाले अधिकारियों को वांछित पोस्टिंग में प्राथमिकता दी जावे ।

- स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने की दिनांक से विगत 7 वर्षों में यदि किसी आरक्षी/ मुख्य आरक्षी का रिकार्ड पूर्णतया बेदाग हो, उक्त अवधि (7 वर्षों) के दौरान उसका वार्षिक कार्य मूल्यांकन 'बहुत अच्छा' अथवा उससे बेहतर हो तथा उसे एक या अधिक बार महानिदेशक पुलिस, राजस्थान द्वारा उत्कृष्ट फील्ड कार्य (Field Work) विशेष के लिए पुरस्कृत किया गया हो तो वह 7 वर्ष बाद भी अन्तर्जिला/ अन्तर्रेंज स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा। ऐसे आरक्षी को अन्तर्जिला/ अन्तर्रेंज स्थानान्तरण में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी, किन्तु स्थानान्तरित किये जाने वाले जिले मे संबंधित वर्ग में रिक्तियां उपलब्ध होने पर ही इस श्रेणी के अन्तर्गत स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा ।
- नियुक्ति दिनांक से 7 वर्ष तक की समयावधि के दौरान आरक्षियों का पदस्थापन जिला पुलिस लाईन, पुलिस थाना एवं पुलिस चौकी में ही किया जायेगा, यद्यपि उसे 5 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर यातायात शाखा में पदस्थापित किया जा सकेगा ।
- आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी के रूप में ये पुलिस कर्मी यातायात में 5 वर्ष से अधिक पदस्थापित नहीं रहेंगे ।

2. सहायक उप निरीक्षक पुलिस

सहायक उप निरीक्षक का पदस्थापन उनके गृह जिले में किया जा सकेगा। यह पदस्थापन निम्न शर्तों के अधीन होगा :–

- इस स्तर के पुलिस कर्मियों को उनके गृह वृत में पदस्थापित नहीं किया जायेगा।
- इस स्तर के अधिकारी किसी एक थाने पर कुल 4 वर्ष से अधिक पदस्थापित नहीं रह सकेगें।
- किसी एक थाने में कोई पुलिस कर्मी, आरक्षी/ मुख्य आरक्षी/ सहायक उप निरीक्षक, तीनो पदों की पदस्थापन अवधि सम्मिलित कर, अधिकतम 7 वर्ष तक एवं किसी एक वृत्त में अधिकतम 15 वर्ष तक ही पदस्थापित रह सकेगा ।
- सहायक उप निरीक्षक पुलिस का अन्तर जिला स्थानान्तरण एवं गृह जिले में स्थानान्तरण, मुख्य आरक्षी एवं आरक्षी के अन्तर जिला स्थानान्तरण हेतु निर्धारित शर्तों के अध्यधीन (बिन्दु सं. 1 से 7) होगा।
- आरक्षी/ मुख्य आरक्षी/ सहायक उप निरीक्षक, तीनों पदों को मिलाकर, 10 वर्ष तक यातायात शाखा में पदस्थापित रह सकेंगे ।
- स्वच्छ छवि वाले कर्मियों को फील्ड पोस्टिंग में प्राथमिकता दी जावेगी ।

- स्थानान्तरण के लिए कर्मियों से तीन विकल्प लिए जावेंगे ।
- पूर्व पदस्थापन के ध्यान के साथ–साथ, फील्ड में पदस्थापन अवधि को दृष्टिगत रखते हुए उत्कृष्ट श्रेणी के कार्य करने वाले अधिकारियों को वांछित पोस्टिंग में प्राथमिकता दी जावे ।

3. उप निरीक्षक पुलिस

उप निरीक्षक अपने गृह जिले में पदस्थापित नहीं किये जायेंगे । इनका पदस्थापन निम्न शर्तों के अधीन होगा :–

- एक जिले में ये लगातार 4 वर्ष तथा कुल 10 वर्ष से अधिक पदस्थापित नहीं रहेंगे । पुनः पदस्थापन अवधियों के मध्य न्यूनतम 2 वर्ष का अन्तराल अनिवार्य होगा । यह पदस्थापन किसी अन्य जिले में होना अनिवार्य होगा, चाहे यह पदस्थापन नॉन–फील्ड पद/ किसी अन्य विभाग अथवा संगठन में प्रतिनियुक्ति पर ही क्यों न हो ।
- जिले में 4 वर्ष की गणना करते समय पुलिस लाईन में पदस्थापन अवधि को सम्मिलित नहीं किया जावेगा ।
- सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त उप निरीक्षक पुलिस प्रारंभिक 7 वर्ष की सेवा अवधि के दौरान केवल जिला पुलिस लाईन, पुलिस थाना एवं पुलिस चौकी में पदस्थापित किये जायेंगे, किन्तु 5 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर इन्हें यातायात शाखा में पदस्थापित किया जा सकेगा ।
- पदौन्नति से उप निरीक्षक बनने वाले पुलिस अधिकारी एक जिले में समस्त रैंकों में अधिकतम 20 वर्ष तक पदस्थापित रह सकेंगे । इस अवधि के गणना करते समय संचित उप निरीक्षक पुलिस के पद पर पदस्थापन अवधि को सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।
- उप निरीक्षक पुलिस का स्थानान्तरण करते समय रेंज स्तर पर वर्गवार समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जायेगा ।
- स्वच्छ छवि वाले कर्मियों को फील्ड पोस्टिंग में प्राथमिकता दी जावेगी ।
- स्थानान्तरण के लिए कर्मियों से तीन विकल्प लिए जावेंगे ।
- पूर्व पदस्थापन के ध्यान के साथ–साथ, फील्ड में पदस्थापन अवधि को दृष्टिगत रखते हुए उत्कृष्ट श्रेणी के कार्य करने वाले अधिकारियों को वांछित पोस्टिंग में प्राथमिकता दी जावे ।
- आरक्षी पद से नियमित पदौन्नत होकर, उप निरीक्षक पुलिस बनने वाले पुलिस अधिकारी, सभी पदों को मिलाकर, अधिकतम 15 वर्ष तक यातायात शाखा में पदस्थापित रह सकेंगे ।

4. निरीक्षक पुलिस

निरीक्षक पुलिस अपने गृह जिले में पदस्थापित नहीं किये जायेंगे। इनका पदस्थापन निम्न शर्तों के अधीन होगा :–

- निरीक्षक स्तर पर पदोन्नति पर इनका प्रारम्भिक पदस्थापन 2 वर्ष तक जिला पुलिस / पुलिस रेंज में नहीं किया जावेगा । इस 2 वर्ष की अवधि के पश्चात् जिला पुलिस/ पुलिस रेंज में पदस्थापन हेतु तभी विचार किया जायेगा जब अधिकारी का इस अवधि के दौरान कम से कम एक वर्ष का "बहुत अच्छा" एवं एक वर्ष का "उत्कृष्ठ" कार्य मूल्यांकन रहा हो ।
- इस स्तर के अधिकारी एक जिले में लगातार 4 वर्ष तथा कुल 8 वर्ष से अधिक पदस्थापित नहीं रहेंगे । दोनों पदस्थापन अवधियों के मध्य न्यूनतम 2 वर्ष का अन्तराल अनिवार्य होगा । यह पदस्थापन किसी अन्य जिले में होना अनिवार्य होगा, चाहे यह पदस्थापन नॉन–फील्ड पद/ किसी अन्य विभाग अथवा संगठन में प्रतिनियुक्ति पर ही क्यों न हो ।
- जिले में 4 वर्ष की गणना करते समय पुलिस लाईन में पदस्थापन अवधि को सम्मिलित नहीं किया जावेगा ।
- ये अधिकारी एक रेन्ज में इसी रैंक में विभिन्न पदों पर कुल 10 वर्ष से अधिक पदस्थापित नहीं रहेंगे, लेकिन, यदि कोई अधिकारी, संचित निरीक्षक के पद पर पदस्थापित रहता है तो इस पदस्थापन काल को उक्त अवधि की गणना में सम्मिलित नहीं किया जावेगा ।
- स्वच्छ छवि वाले कर्मियों को फील्ड पोस्टिंग में प्राथमिकता दी जावेगी ।
- स्थानान्तरण के लिए कर्मियों से तीन विकल्प लिए जावेंगे ।
- पूर्व पदस्थापन के ध्यान के साथ–साथ, फील्ड में पदस्थापन अवधि को दृष्टिगत रखते हुए उत्कृष्ट श्रेणी के कार्य करने वाले अधिकारियों को वांछित पोस्टिंग में प्राथमिकता दी जावे ।
- आरक्षी पद से नियमित पदौन्नत होकर, निरीक्षक स्तर तक के पुलिस अधिकारी, सभी पदों को मिलाकर, अधिकतम 15 वर्ष तक यातायात शाखा में पदस्थापित रह सकेंगे ।

नोट : 1. एक जिले में आरक्षी से लेकर निरीक्षक तक के स्थानान्तरण/पदस्थापन जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा किये जावेंगे।

2. एक रेंज में अन्तर्जिला स्थानान्तरण के आदेश सम्बन्धित महानिरीक्षक पुलिस, रेंज द्वारा किये जायेंगे।

3. अन्तर्रेंज स्थानान्तरण के आदेश महानिदेशक पुलिस राजस्थान, जयपुर द्वारा किये जायेंगे ।

4. किसी भी हैड कॉन्सटेबल / सहायक उप निरीक्षक पुलिस का स्थानान्तरण ऐसे जिला / यूनिट में तथा उप निरीक्षक पुलिस का स्थानान्तरण ऐसी रेंज में नहीं किया जाएगा, जिसमें स्थानान्तरित होने वाले पुलिसकर्मी की नियुक्ति/ पदोन्नति वर्ष के किसी एक पुलिसकर्मी ने उसी रेंक में पदोन्नति प्राप्त नहीं कर ली हो ।
5. विशेष परिस्थितियों में स्थानान्तरण करने में सक्षम अधिकारी से एक रैंक ऊपर के अधिकारी की अनुमति से उक्त अवधियों में एक वर्ष की छूट प्राप्त की जा सकेगी ।
6. उक्त दिशा–निर्देश जिला कार्यकारी बल (District Executive Force) के लिए लागू होगें।

5. उप अधीक्षक पुलिस

इस स्तर के अधिकारी अपने गृह जिले में पदस्थापित नहीं किये जायेंगे। इनका पदस्थापन निम्न शर्तों के अधीन होगा :–

- निरीक्षक पद से पदौन्नति पर ये अधिकारी 2 वर्ष के लिए नॉन–फील्ड पद पर पदस्थापित रहेंगे । इस 2 वर्ष की अवधि के पश्चात् "फील्ड" में पदस्थापन हेतु तभी विचार किया जायेगा जब अधिकारी का इस अवधि के दौरान कम से कम एक वर्ष का "बहुत अच्छा" एवं एक वर्ष का "उत्कृष्ठ" कार्य मूल्यांकन रहा हो ।
- ये अधिकारी किसी भी एक जिले में लगातार 4 वर्ष व एक पुलिस रेंज के जिलों में वृत्त अथवा यातायात शाखा में 6 वर्ष से अधिक नहीं रहेंगे।
- इस स्तर के अधिकारी का पदस्थापन एक पुलिस रेन्ज में सभी कार्यालयों में पदस्थापन काल को सम्मिलित कर कुल 8 वर्ष से अधिक नहीं किया जावेगा।
- स्वच्छ छवि वाले कर्मियों को फील्ड पोस्टिंग में प्राथमिकता दी जावेगी ।
- स्थानान्तरण के लिए कर्मियों से तीन विकल्प लिए जावेंगे ।
- पूर्व पदस्थापन के ध्यान के साथ–साथ, फील्ड में पदस्थापन अवधि को दृष्टिगत रखते हुए उत्कृष्ट श्रेणी के कार्य करने वाले अधिकारियों को वांछित पोस्टिंग में प्राथमिकता दी जावे ।

6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

इस स्तर के अधिकारी अपने गृह जिले में पदस्थापित नहीं किये जायेंगे। इनका पदस्थापन निम्न शर्तों के अधीन होगा :–

- पदौन्नति होने पर ये अधिकारी 2 वर्ष के लिए नॉन–फील्ड पद पर पदस्थापित रहेंगे । इस 2 वर्ष की अवधि के पश्चात् "फील्ड" में पदस्थापन हेतु तभी विचार

किया जायेगा जब अधिकारी का इस अवधि के दौरान कम से कम एक वर्ष का "बहुत अच्छा" एवं एक वर्ष का "उत्कृष्ठ" कार्य मूल्यांकन रहा हो ।

- इनका पदस्थापन किसी एक पुलिस रेन्ज के एक जिले में लगातार 4 वर्ष तथा रेंज के सभी जिलों में 6 वर्ष से अधिक नहीं होगा।
- इस स्तर के अधिकारी सभी कार्यालयों में पदस्थापन काल को सम्मिलित कर एक पुलिस रेन्ज में 8 वर्ष से अधिक पदस्थापित नहीं रहेंगे।
- स्वच्छ छवि वाले कर्मियों को फील्ड पोस्टिंग में प्राथमिकता दी जावेगी ।
- स्थानान्तरण के लिए कर्मियों से तीन विकल्प लिए जावेंगे ।
- पूर्व पदस्थापन के ध्यान के साथ–साथ, फील्ड में पदस्थापन अवधि को दृष्टिगत रखते हुए उत्कृष्ट श्रेणी के कार्य करने वाले अधिकारियों को वांछित पोस्टिंग में प्राथमिकता दी जावे ।

नोट : 1. उप निरीक्षक पुलिस के पद से पदौन्नत निरीक्षक पुलिस, उप अधीक्षक पुलिस एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी संपूर्ण सेवा काल में जिला पुलिस व अन्य समस्त पदस्थापन को सम्मिलित कर एक ही जिले में 12 वर्ष एवं एक ही रेंज में 20 वर्ष से अधिक अवधि तक पदस्थापित नहीं रह सकेगे, परन्तु एक रेंज में विभिन्न पदों पर लगातार 10 वर्ष का पदस्थापन पूर्ण करने के उपरांत उनका स्थानान्तरण 3 वर्ष के लिए अन्य रेंज में किया जाना अनिवार्य होगा चाहे यह पदस्थापन नॉन–फील्ड पद/ किसी अन्य विभाग अथवा संगठन में प्रतिनियुक्ति पर ही क्यों न हो ।

2. सीधी भर्त्ती से उप अधीक्षक पुलिस के पद पर नियुक्त अधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर पदौन्नत होने पर, दोनो पदस्थापन काल में जिला पुलिस एवं अन्य कार्यालयों के समस्त पदस्थापन को सम्मिलित कर, एक जिले में 6 वर्ष एवं एक रेंज में 12 वर्ष तक ही पदस्थापित रह सकेंगे ।

पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों हेतु प्रस्तावित स्थानान्तरण/ पदस्थापन नीति

- प्रशिक्षण संस्थानों में स्थानान्तरण हेतु योग्य प्रशिक्षकों का चयन किऐ जाने हेतु एक स्क्रीनिंग कमेटी प्रशिक्षण निदेशालय स्तर पर गठित की जायेगी जो कि स्थानान्तरण नीति के तहत योग्य प्रशिक्षकों का चयन कर अपनी अनुशंषा प्रशिक्षण निदेशालय के माध्यम से पुलिस मुख्यालय को प्रेषित करेगी ।

  ईआरटी एवं एसडीआरएफ में आरएसी के जिन अधिकारियों/ कर्मियों ने अपना कार्यकाल कम से कम "बहुत अच्छा" कार्य मूल्यांकन के साथ निर्धारित अवधि तक पूर्ण किया हो, उन्हें प्रशिक्षण संस्थानों में पदस्थापन हेतु प्राथमिकता दी जाएगी ।

- प्रशिक्षण संस्थान में पदस्थापन हेतु राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के अंतर्गत सीधी भर्ती से नियुक्त पुलिस/सशस्त्र बल की न्यूनतम सेवा अवधि सात वर्ष होनी अनिवार्य होगी। ऐसे पदस्थापन के लिए फील्ड में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव रखने वाले पुलिस कर्मियों को प्राथमिकता दी जायेगी ।

  किसी भी प्रशिक्षण संस्थान में डेमो प्लाटून के सदस्य के रूप में न्यूनतम छः माह की सेवा पूर्ण करने वाले कर्मी को उक्त न्यूनतम सेवावधि में दो वर्ष की शिथिलता दी जायेगी ।

- प्रशिक्षण संस्थानों में इण्डोर प्रशिक्षकों के पदस्थापन हेतु कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं होगी बल्कि उनका पदस्थापन उनकी प्रशिक्षण देने की क्षमता को ध्यान में रखकर किया जायेगा। आउट–डोर में आरक्षी स्तर के कर्मियों की अधिकतम आयु 45 वर्ष, मुख्य आरक्षी के लिए 50 वर्ष तथा इससे ऊपर स्तर के कर्मियों/अधिकारियों के लिए अधिकतम 55 वर्ष होगी।

- आरम्भ में पुलिस/सशस्त्र बल के कर्मियों/ अधिकारियों का पदस्थापन 3 वर्ष की अवधि के लिए किया जावेगा। इसके पश्चात प्रति 2 वर्ष के लिए इनकें कार्य दक्षता की पुनः समीक्षा कर पदस्थापन अवधि को कुल 7 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकेगा ।

- प्रशिक्षण संस्थान से स्थानान्तरण होने के पश्चात पुनः पदस्थापन के लिये 3 वर्ष का अन्तराल (कूलिंग पीरियड) अनिवार्य होगा। एक प्रशिक्षण संस्थान में पुलिसकर्मी/ अधिकारी का पदस्थापन अधिकतम 7 वर्ष तक होगा । 7 वर्ष के पश्चात वह अन्य प्रशिक्षण संस्थान में पदस्थापन के लिए पात्र होगा, यदि वह स्थानान्तरण नीति के अन्य मापदण्ड पूर्ण करता हो, परन्तु वह अपने (आरक्षी से निरीक्षक तक) सम्पूर्ण सेवाकाल में विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में कुल 14 वर्ष से अधिक पदस्थापित नहीं रह सकेगा ।

- प्रशिक्षण संस्थानों में स्वेच्छा से पदस्थापित कर्मियों/अधिकारीयों को उनके 3 वर्ष के कार्यकाल के दौरान "बहुत अच्छा/ उत्कृष्ट" वार्षिक कार्य मूल्यांकन होने पर, यथासंभव उनके द्वारा दिये गये विकल्पों में से उपलब्धता/ योग्यता के आधार पर पदस्थापन किया जा सकेगा ।

- प्रशिक्षण संस्थान में पदस्थापित अधिकारी/कर्मचारी यदि किसी समय प्रशिक्षण कार्य के लिये अनुपयुक्त पाये जाते हैं, तो उन्हें प्रशिक्षण संस्थान प्रमुख एवं प्रशिक्षण निदेशालय की अनुषंशा पर मुख्यालय शाखा द्वारा तत्काल हटाया जा सकेगा ।

- प्रशिक्षण निदेशालय में एक प्रशिक्षण संस्थान से दूसरे प्रशिक्षण संस्थान में आरक्षी के पद से लेकर निरीक्षक पुलिस पद तक के स्थानान्तरण/ पदस्थापन अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (प्रशिक्षण) भी करने में सक्षम होंगे ।

पुलिस दूर संचार निदेशालय हेतु प्रस्तावित स्थानान्तरण/ पदस्थापन नीति

- इस स्तर के अधिकारी एक स्थान पर लगातार अधिकतम 5 वर्ष तक पदस्थापित किये जा सकेंगे तथा 2 वर्ष के अन्तराल के पश्चात् उसी स्थान पर पुनः पदस्थापन हेतु पात्र होंगे । पुनः पदस्थापन हेतु अधिकतम अवधि 5 वर्ष होगी ।
- इस स्तर के अधिकारी एक स्थान पर लगातार अधिकतम 5 वर्ष तक पदस्थापित किये जा सकेंगे तथा 2 वर्ष के अन्तराल के पश्चात् उसी स्थान पर पुनः पदस्थापन हेतु पात्र होंगे । समग्र रूप से इस रैंक में जयपुर मुख्यालय अथवा रेंज मुख्यालय पर अधिकतम 10 वर्ष तक पदस्थापित रह सकेगा ।
- इस स्तर के अधिकारी एवं कर्मचारी एक जिले में लगातार अधिकतम 5 वर्ष तक पदस्थापित किये जा सकेंगे तथा 3 वर्ष के अन्तराल के पश्चात् उसी जिले में पुनः पदस्थापन हेतु पात्र होंगे । आरक्षी से निरीक्षक तक के सभी रैंकों को सम्मिलित कर, कोई भी कार्मिक एक जिले में अधिकतम 15 वर्ष तक पदस्थापित रह सकेगा।
- आरक्षी से लेकर निरीक्षक पद तक के कर्मी अपने सम्पूर्ण सेवाकाल में एक पुलिस रेंज/ आयुक्तालय में 20 वर्ष से अधिक पदस्थापित नहीं रह सकेंगे ।
- जयपुर आयुक्तालय एवं जयपुर रेंज तथा जोधपुर आयुक्तालय एवं जोधपुर रेंज को स्थानान्तरण नीति में एक रेंज माना जावेगा ।
- सभी आरएसी (आई.आर.) बटालियन्स को इस प्रयोजनार्थ एक रेंज माना जावेगा।
- गृह जिला संबंधी प्रावधान इस निदेशालय पर लागू नहीं होंगे ।

राज्य विशेष शाखा हेतु प्रस्तावित स्थानान्तरण/ पदस्थापन नीति

- आरक्षी से निरीक्षक पुलिस पदों तक के लिए गृह जिले का प्रावधान विशेष शाखा में स्थानान्तरण/ पदस्थापन पर लागू नहीं होंगे ।

- नवनियुक्त पुलिस कर्मियों को मुख्यालय/प्रशिक्षण संस्थान में सात वर्ष तक न लगाया जाकर जोन कार्यालयों/जोन यूनिट कार्यालयों में लगाया जावेगा। महिला पुलिसकर्मियों के लिए यह अवधि पाँच वर्ष होगी ।

- इसी प्रकार नव पदोन्नत पुलिस कर्मियों को कम से कम पाँच वर्ष की समयावधि के लिए मुख्यालय/ प्रशिक्षण संस्थान पर न रखा जाकर जोन कार्यालयों व जोन यूनिट कार्यालयों में लगाया जावेगा । पाँच वर्ष की बेदाग सेवाकाल के पश्चात् तथा इस अवधि में तीन "बहुत अच्छा"/ "उत्कृष्ठ" वार्षिक कार्य मूल्यांकन होने पर ही मुख्यालय/ प्रशिक्षण संस्थान में पदस्थापन हेतु विचार किया जायेगा ।

- राज्य विशेष शाखा में जोन एवं कार्यालयों में पदस्थापन सामान्यतः 3 वर्षों के लिए होगा ।

- आरक्षी से सहायक उप निरीक्षक पद तक के पुलिस कर्मियों/ अधिकारियों को उक्त तीनों रैंकों के पदस्थापन काल को सम्मिलित कर, अधिकतम 7 वर्ष तक एक स्थान पर तथा उपनिरीक्षक से पुलिस निरीक्षक स्तर तक के अधिकारियों को दोनों रैंको के पदस्थापन काल को सम्मिलित कर, अधिकतम 5 वर्ष तक एक स्थान पर रखा जा सकता है । इन सभी रैंकों में कुल पदस्थापन एक जिले में अधिकतम 15 वर्ष की अवधि के लिए हो सकेगा ।

  अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (इन्टेलीजैन्स) विशेष परिस्थितियों में उपरोक्त निर्धारित पदस्थापन अवधि में शिथिलन देने के लिए सक्षम होंगे ।

  इस प्रकार की शिथिलता देते समय केवल उन्हीं कर्मियों के संबंध में विचार किया जावेगा, जिनका गत 3 वर्षों में वार्षिक कार्य मूल्यांकन बहुत अच्छा/ उत्कृष्ट रहा हो ।

आर्म्ड बटालियन्स हेतु प्रस्तावित स्थानान्तरण/ पदस्थापन नीति

- विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (आर्म्ड बटालियन) आरक्षी/ मुख्य आरक्षी के अन्तर बटालियन स्थानान्तरण कर सकेंगे । इस प्रकार के स्थानान्तरण निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन होंगे :–
  - (i) अन्तर बटालियन स्थानान्तरण करते समय संबंधित वर्ग में रिक्तियां उपलब्ध होने पर ही स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा ।
  - (ii) किसी भी बटालियन में पुरूष आरक्षी/ मुख्य आरक्षी की न्यूनतम 10 वर्ष एवं महिला आरक्षी/ मुख्य आरक्षी की 5 वर्ष की सेवावधि पूर्ण होने पर ही अन्तर बटालियन स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा ।
  - (iii) एक ही बटालियन में स्थानान्तरण हेतु एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में वरिष्ठता के अनुसार ही स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा ।
  - (iv) पुरूष आरक्षी/ मुख्य आरक्षी का विगत 10 वर्षों में से 6 वर्षों की एवं महिला आरक्षी/ मुख्य आरक्षी का विगत 5 वर्षों में से 3 वर्षों की अवधि में 'अच्छा' अथवा उससे बेहतर वार्षिक कार्य मूल्यांकन होने पर ही स्थानान्तरण किया जायेगा ।
  - (v) किसी आरक्षी/ मुख्य आरक्षी के विरुद्ध विभागीय जाँच अथवा आपराधिक प्रकरण विचाराधीन होने पर उसके स्थानान्तरण पर विचार नहीं किया जायेगा ।
  - (vi) वृहद दण्ड एवं लघु दण्ड (परिनिन्दा के अतिरिक्त) से दण्डित किसी आरक्षी/ मुख्य आरक्षी के स्थानान्तरण पर, दण्ड लागू रहने की अवधि तक विचार नहीं किया जायेगा ।
  - (vii) स्थानान्तरण हेतु आवेदन करने की दिनांक से विगत 7 वर्षों में यदि किसी आरक्षी/ मुख्य आरक्षी का रिकार्ड पूर्णतया बेदाग हो, उक्त अवधि (7 वर्षों) के दौरान उसका वार्षिक कार्य मूल्यांकन "बहुत अच्छा" अथवा उससे बेहतर हो तथा उसे दो या अधिक बार महानिदेशक पुलिस, राजस्थान द्वारा उत्कृष्ट कार्य विशेष के लिए पुरस्कृत किया गया हो तो वह 7 वर्ष बाद भी अन्तर बटालियन स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा। ऐसे आरक्षी को अन्तर बटालियन स्थानान्तरण में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी ।
  - (viii) किसी आरक्षी/ मुख्य आरक्षी का एक बार अन्तर बटालियन स्थानान्तरण किये जाने के पश्चात्, दो वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर ही, पुनः अन्तर बटालियन स्थानान्तरण पर विचार किया जा सकेगा ।
- विशेष परिस्थितियों में प्रशासनिक आधार पर अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (आर्म्ड बटालियन) प्लाटून कमाण्डर/ कम्पनी कमाण्डर का एक बटालियन से दूसरी बटालियन में स्थानान्तरण कर सकेंगे। उक्त स्थानान्तरण उस बटालियन में वर्गवार रिक्तियों की उपलब्धता होने पर ही किये जायेंगे ।

आर.ए.सी. 13 वीं बटालियन (जेल सुरक्षा) हेतु प्रस्तावित स्थानान्तरण/ पदस्थापन नीति

- 13वीं बटालियन आरएसी की सेवाएं जेल विभाग को दी जावेंगी तथ इस बटालियन में पदस्थापन हेतु पात्रता तथा स्थानान्तरण नीति जेल महानिदेशक की सहमति से निर्धारित की गई है । सामान्यतः इस बटालियन में पदस्थापन आरएसी संवर्ग की अन्य बटालियन के अनुभवी एवं वरिष्ठ आरक्षी/ मुख्य आरक्षी के स्थानान्तरण से किया जावेगा, जिसके लिए निम्नांकित पात्रता होगी :–
  (i) कानि0 के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष व अधिकतम आयु 55 वर्ष ।
  (ii) मुख्य आरक्षी के लिए अधिकतम आयु 55 वर्ष ।
  (iii) कानि0/ हैड कानि0 के विरूद्व नियम 16 सीसीए के तहत न तो विभागीय जाँच कार्यवाही प्रस्तावित हो और न ही इसके तहत दण्डित हो।
- इस बटालियन में आरक्षी/ मुख्य आरक्षी का पदस्थापन उनके गृह जिले में किया जा सकेगा ।
- उक्त आरक्षी/ मुख्य आरक्षी का लियन उनकी मूल बटालियन में होगा ।
- उक्त कॉन्सटेबल/ हैड कॉन्सटेबल की यह नियुक्ति 3 वर्ष के लिए होगी तथा महानिदेशक पुलिस, जेल राजस्थान की अनुशंषा पर महानिदेशक पुलिस, राजस्थान द्वारा 2 वर्ष तक बढाई जा सकेगी ।
- उक्त पात्र कार्मिक की नियुक्ति इस बटालियन में एक रेंक में मात्र एक बार ही होगी ।
- दुराचरण व अन्य शिकायतों के आधार पर कमाण्डेन्ट, 13वीं बटालियन आरएसी की अनुशंषा पर अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, आर्म्ड बटालियन, राजस्थान द्वारा स्थानान्तरण अन्यत्र 3 वर्ष पूर्व भी किया जा सकेगा । ऐसे आरक्षी/ मुख्य आरक्षी का इस बटालियन में भविष्य में पदस्थापन नहीं किया जावेगा ।
- इस बटालियन में प्लाटून कमाण्डर/ कम्पनी कमाण्डर के पदों पर स्थानान्तरण/ पदस्थापन आरएसी की अन्य बटालियन्स से किया जायेगा । यह स्थानान्तरण/ पदस्थापन निम्नांकित शर्तों के अधीन होगा :–
  (i) इस स्तर के अधिकारी के विरुद्ध नियम 16 सीसीए के अन्तर्गत न तो विभागीय जाँच प्रस्तावित हो और न ही इस नियम के तहत् दण्डित हो ।
  (ii) उक्त अधिकारी का लियन उसकी मूल बटालियन में होगा ।
  (iii) उक्त अधिकारी का पदस्थान 3 वर्ष के लिए होगा तथा महानिदेशक (जेल) राजस्थान की अनुशंषा पर महानिदेशक पुलिस राजस्थान द्वारा 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा ।

(iv) उक्त अधिकारी की नियुक्ति इस बटालियन में एक रेंक में मात्र एक बार ही होगी।

(v) दुराचरण व अन्य शिकायतों के आधार पर कमाण्डेन्ट, 13वीं बटालियन आरएसी की अनुशंषा पर अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, आर्म्ड बटालियन, राजस्थान द्वारा स्थानान्तरण अन्यत्र 3 वर्ष पूर्व भी किया जा सकेगा । ऐसे अधिकारी का इस बटालियन में भविष्य में पदस्थापन नहीं किया जायेगा ।

- महानिदेशक पुलिस राजस्थान एवं महानिदेशक जेल की सहमति से इस नीति में संशोधन किया जा सकेगा ।

राज्य आपदा प्रतिसाद दल (SDRF) हेतु प्रस्तावित स्थानान्तरण/ पदस्थापन नीति

- राज्य आपदा प्रतिसाद दल बटालियन में भर्ती आरक्षी का स्थानान्तरण/ पदस्थापन अन्य आरएसी की बटालियनों में किया जा सकेगा तथा अन्य आरएसी बटालियनों से योग्य आरक्षी/ मुख्य आरक्षी/ प्लाटून कमाण्डर एवं कम्पनी कमाण्डर का स्थानान्तरण/ पदस्थापन राज्य आपदा प्रतिसाद दल में किया जा सकेगा। ये स्थानान्तरण/ पदस्थापन निम्नांकित शर्तों के अधीन होगा :–

  (i) आर्म्ड बटालियन से एसडीआरएफ में स्थानान्तरण अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (मुख्यालय) द्वारा अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (आर्म्ड बटालियन)/ (एसडीआरएफ) की अभिशंषा/ सहमति द्वारा किये जाएंगे ।

  (ii) उक्त कर्मी/ अधिकारी के विरुद्ध नियम 16 सीसीए के अन्तर्गत न तो विभागीय जाँच प्रस्तावित हो और न ही इस नियम के तहत् दण्डित हो ।

  (iii) दुराचरण व अन्य शिकायतों के आधार पर एसडीआरएफ के सक्षम अधिकारी की अनुशंषा पर अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, आर्म्ड बटालियन, राजस्थान द्वारा 7 वर्ष पूर्व भी स्थानान्तरण किया जा सकेगा । ऐसे अधिकारी का इस बटालियन में भविष्य में पुनः पदस्थापन नहीं किया जायेगा ।

- बटालियन में पदस्थापित प्रत्येक कर्मी एक रैंक में अधिकतम 7 वर्ष ही बटालियन में पदस्थापित रह सकेगा। विशेष परिस्थितियों में महानिदेशक पुलिस, राजस्थान द्वारा यह अवधि दो वर्ष और बढ़ायी जा सकेगी ।

- इस बटालियन में पदस्थापति प्रत्येक कर्मी का लियन उसकी मूल बटालियन में होगा ।

- इसमें पदस्थापित आरक्षी की अधिकतम 40 वर्ष एवं कम्पनी कमाण्डर/ प्लाटून कमाण्डर/ मुख्य आरक्षी की आयु 45 वर्ष होगी। विशेष परिस्थितियों में महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर के द्वारा 2 वर्ष की अवधि और बढाई जा सकेगी ।

एटीएस एवं एसओजी हेतु प्रस्तावित स्थानान्तरण/ पदस्थापन नीति

- कार्मिक विभाग, राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ 5(1)डीओपी/ ए–II/2011 दिनांक 26.04.2011 एवं राजस्थान सिविल सेवा (आतंकवाद निरोधक दस्ते में व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्तें) नियम, 2011 के द्वारा एटीएस में चयन हेतु विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित की गई है । एटीएस में समस्त स्थानान्तरण/ पदस्थापन इस निर्धारित प्रक्रियानुसार ही किये जायेंगे ।

- एसओजी में आरक्षी से लेकर निरीक्षक स्तर तक के कर्मियों/ अधिकारियों के स्थानान्तरण/ पदस्थापन चयन समिति की अनुशंषा पर सक्षम अधिकारी द्वारा किये जावेंगे । चयन समिति का गठन निम्नानुसार होगा :–

  (i) अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (एटीएस एवं एसओजी) – अध्यक्ष
  (ii) महानिरीक्षक पुलिस (मुख्यालय) – सदस्य
  (iii) पुलिस अधीक्षक (एसओजी) – सदस्य सचिव

- एसओजी में पदस्थापन/ स्थानान्तरण हेतु अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (एटीएस एवं एसओजी) की अनुशंषा पर महानिरीक्षक पुलिस (मुख्यालय) द्वारा राज्य के जिलों/ यूनिट्स से आवेदन प्राप्त किये जावेंगे, जिन पर चयन समिति द्वारा विचार किया जाएगा ।

- एसओजी में पदस्थापन हेतु किसी भी आरक्षी के लिए न्यूनतम 10 वर्ष की सेवावधि अनिवार्य होगी तथा सीधी भर्ती उप निरीक्षक के लिए न्यूनतम 07 वर्ष की सेवावधि अनिवार्य होगी ।

- एसओजी में पदस्थापन हेतु मुख्य आरक्षी, सहायक उप निरीक्षक, उप निरीक्षक एवं निरीक्षक द्वारा चयनित पद पर न्यूनतम 02 वर्ष की सेवावधि पूर्ण करना अनिवार्य होगा । एसओजी में पूर्व से पदस्थापित कर्मी/ अधिकारी के पदौन्नत होने पर, सक्षम अधिकारी द्वारा इस अवधि में शिथिलन दिया जा सकेगा ।

- एसओजी में पदस्थापन हेतु किसी भी कर्मी/ अधिकारी के लिए समग्र सेवाकाल में पुलिस थाने में न्यूनतम 05 वर्ष का कार्यानुभव अनिवार्य होगा ।

- एसओजी में चयन हेतु केवल उन्हीं कर्मियों/ अधिकारियों पर विचार किये जाएगा, ज़िनका विगत 05 वर्षों में कम से कम 03 वर्ष का वार्षिक कार्य मूल्यांकन **"बहुत अच्छा/ उत्कृष्ट"** हो । जिन कर्मियों/ अधिकारियों का वार्षिक कार्य मूल्यांकन इस अवधि के किसी भी वर्ष में "असंतोषप्रद" अथवा "प्रतिकूल"

(adverse) होने पर या उनके विरुद्ध नियम 16 सीसीए के अन्तर्गत विभागीय जाँच लम्बित होने पर उनका चयन एसओजी में नहीं किया जावेगा ।

- एसओजी में चयन हेतु उन कर्मियों/ अधिकारियों पर विचार नहीं किया जावेगा, जिनकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध हो अथवा जो शारीरिक रूप से अक्षम हो ।
- एसओजी में पदस्थापन सामान्यतः 03 वर्ष के लिए किया जाएगा । यह कार्यकाल महानिदेशक पुलिस द्वारा एक बार में 02 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा । एसओजी में किसी भी कर्मी का कार्यकाल निरन्तर 07 वर्ष से अधिक नहीं होगा । एसओजी में पुनः आवेदन करने के लिए न्यूनतम 03 वर्ष का अन्तराल अनिवार्य होगा ।
- एसओजी में पदस्थापन अवधि के दौरान किसी भी कर्मी/ अधिकारी का कार्य संतोषजनक/ उपयुक्त नहीं पाये जाने पर, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (एटीएस एवं एसओजी) की अनुशंषा पर सक्षम अधिकारी द्वारा उसका स्थानान्तरण अन्यत्र किया जा सकेगा ।

पुलिस विभाग के समग्र स्थानान्तरण/ पदस्थापन हेतु सामान्य नीति निर्देश :–

1. सामान्यतः किसी भी अधिकारी / कर्मचारी का स्थानान्तरण 2 वर्ष अथवा निर्धारित न्यूनतम अवधि पूर्ण होने से पूर्व नहीं किया जावेगा।
2. पदस्थापित पुलिसकर्मियों/ अधिकारियों के कार्य की समीक्षा के आधार पर 2 वर्ष पूर्व उन्हें कभी भी हटाया जा सकेगा, किन्तु ये स्थानान्तरण एक स्तर ऊपर के सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के पश्चात् ही किया जा सकेगा ।
3. यातायात शाखा सहित जिलों के फील्ड पदों पर नियुक्ति हेतु स्वास्थ्य आदि हेतु महानिदेशक पुलिस द्वारा निर्धारित मापदंड पूरे करने वाले पुलिसकर्मी ही पात्र होंगे। अस्वस्थता अथवा शारीरिक अयोग्यता के आधार पर इन पदों से पुलिसकर्मी का कभी भी स्थानान्तरण किया जा सकेगा।
4. कार्य उदासीनता, अकर्मण्यता, गम्भीर दुराचरण, आपराधिक सांठ–गांठ या संलिप्तता, नागरिकों से दुर्व्यवहार अथवा भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण राजस्थन सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत जॉच विचाराधीन होने अथवा पुलिस रिपोर्ट के आधार पर आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने पर पुलिस अधिकारी/ कर्मचारी को जिलों के फील्ड पदों (यातायात सहित) तथा प्रशिक्षण संस्थानों में पदस्थापित नहीं किया जावेगा ।
5. सेवा के अंतिम दो वर्षों में पुलिसकर्मी/ अधिकारी को जिलों में फील्ड पदों (यातायात सहित) के अतिरिक्त यथासंभव उनके द्वारा दिये गये विकल्पों पर पदस्थापित किया जा सकेगा, जिस पर सामान्य प्रतिबन्ध लागू नहीं होंगे ।
6. स्थानान्तरण नीति में जहां भी गृह जिले में पदस्थापन पर रोक लगाई गई है, वह नॉन–फील्ड पदस्थापन जैसे पी. एच. क्यू, विशेष शाखा, अपराध शाखा, प्रशिक्षण संस्थान इत्यादि पर लागू नहीं होगी।
7. पुलिस आयुक्तालय जयपुर के अतिरिक्त जयपुर शहर में पदस्थापन पर समयावधि की कोई सीमा नहीं होगी, किन्तु उप निरीक्षक पुलिस तथा निरीक्षक पुलिस स्तर के पुलिस कर्मी किसी एक कार्यालय/ शाखा में निरन्तर 5 वर्ष एवं उप पुलिस अधीक्षक तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी 3 वर्ष से अधिक समयावधि तक पदस्थापित नहीं रहेंगे । पुनः उसी कार्यालय/ शाखा में पदस्थापन के लिए 2 वर्ष का अन्तराल अनिवार्य होगा । अपराध शाखा एवं राज्य विशेष शाखा के अतिरिक्त किसी भी एक कार्यालय/ शाखा में किसी कर्मी/ अधिकारी की अधिकतम पदस्थापन अवधि 15 वर्ष होगी ।

जिन शाखाओं/ निदेशालयों के लिए पृथक से स्थानान्तरण/ पदस्थापन नीति निर्धारित है, उन पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा।

8. **यदि पति–पत्नि दोनों राजस्थान पुलिस सेवा में हों तो उन्हें निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन, यथासंभव एक ही जिले में पदस्थापित किया जा सकेगा ।**

   (i) अन्तर्जिला स्थानान्तरण के माध्यम से कोई कर्मी अपने गृह जिले में स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा ।

   (ii) ऐसे दम्पति में से किसी एक के वर्तमान पदस्थापन जिले में दूसरे के स्थानान्तरण की स्थिति में न्यूनतम सेवावधि की अनिवार्यता लागू नहीं होगी ।

   (iii) यदि दम्पति, दोनों के मूल जिलों के अतिरिक्त, किसी तीसरे जिले में स्थानान्तरण के इच्छुक हैं तो, ऐसे स्थानान्तरण के लिए किसी एक का न्यूनतम 05 वर्ष की सेवावधि पूर्ण करना अनिवार्य होगा ।

   (iv) ऐसे अन्तर्जिला स्थानान्तरण करते समय संबंधित वर्ग में रिक्तियां उपलब्ध होने पर ही स्थानान्तरण पर विचार किया जाएगा ।

9. **विशिष्ठ परिस्थितियों में महानिदेशक पुलिस राजस्थान उप अधीक्षक पुलिस स्तर तक के किसी भी पुलिस कर्मी का पदस्थापन/स्थानान्तरण राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण पर सामान्य प्रतिबन्ध लागू होने की स्थिति में भी कहीं भी कर सकेंगे। इसी प्रकार उपरोक्त परिस्थितियों में गृह विभाग भी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के तद्नुसार स्थानान्तरण कर सकेगा।**

10. **स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत होने वाले स्थानान्तरण/ पदस्थापन के संबंध में संबंधित पुलिसकर्मी/ पुलिस अधिकारी से, उसकी इच्छानुसार तीन विकल्प लिये जाकर, यथासंभव उनके द्वारा दिये गये विकल्पों पर पदस्थापित किया जा सकेगा ।**

11. **गृह जिला का तात्पर्य राजस्व (Revenue)जिला होगा ।**

12. विभाग की जिन शाखाओं का नीति में पृथक से उल्लेख नहीं किया गया है, उन शाखाओं में भी यह **स्थानान्तरण**/पदस्थापन नीति लागू होगी ।

13. उपरोक्त नीति के विभिन्न प्रावधानों में महानिदेशक पुलिस शिथिलन देने में सक्षम होंगे ।